



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1017]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2011/ज्यैष्ठ 6, 1933

No. 1017]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2011/JYAISTHA 6, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 मई, 2011

का.आ. 1218(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 4 मार्च, 2011 के पृष्ठ 2 पर सं. सा.का.नि. 482(अ), तारीख 4 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में, अर्थात् :-

1. पंक्ति 5 में "उसकी आस्तियों" शब्दों के स्थान पर "उसकी प्रत्येक आस्ति" पढ़ें।
2. पंक्ति 5 में "250 करोड़ रुपए" के स्थान पर "भारत में 250 करोड़ रुपए" पढ़ें।
3. पंक्ति 6 में "750 करोड़ रुपए" के स्थान पर "भारत में 750 करोड़ रुपए" पढ़ें।

[फा. सं. 5/4/2003-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th May, 2011

S.O. 1218(E).— In the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs vide G.S.R. No. 482 (E), dated the 4th March, 2011, published at page 2 of the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th March, 2011, namely :—

1. in line 5, for "has assets" read "has either assets";
2. in line 6, for "Rs. 250 crore or" read "Rs. 250 crore in India or";
3. in line 7, for "Rs.750 crore from" read "Rs.750 crore in India from".

[F.No. 5/4/2003-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.